भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01 FEB 2019 AC 311807

स्व० श्रीमती श्याम कुमारी शिक्षण एवं विकास ट्रस्ट

मैं देवेन्द्र मिश्र पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र मिश्र निवासी 175/53ए/5, तिलकनगर, अल्लापुर, परगना व तहसील सदर, जिला प्रयागराज (उ0प्र0) 211006 का भारतीय नागनिक हूँ। आधार कार्ड सं0 910841915060 मो0 नं0 9415251178

मेरी पूज्य माताजी स्व0 श्रीमती श्यामकुमारी एक कुशल गृहिणी, सहृदय, सज्जन, धार्मिक, नारी उत्थान की प्रबल समर्थक एवं समर्पित उदारवादी थी। उनके इन्हीं गुणों का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था। हमारी सहृदयी दयालू माता जी का देहावसान हो चुका है। मेरी माता जी हमेशा यही प्रेरणा दिया करती थी कि समाज में हर किसी का सम्मान करते हुए इंसान को समर्पण की भावना से रहना चाहिए। उन्होंने सदैव सादगी पर चलते हुए हमें भी यही सिखाया

क्रमांक 728 तिथि 1-3-2019 मूल्य 500/- प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम देवेन्द्र मिश्रा S/o एच० [illegible] मिश्रा

निवासी [illegible] प्रयागराज

स्टाम्प विक्रेता का प्रकाश उपाध्याय, न्यायालय परिसर प्रयागराज

लाइ० नं० 315 अवधि 31 मार्च 2019 तक

हस्ताक्षर [illegible]

1-3-2019

[illegible] सदर प्रथम प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EP 265861

कलेक्ट्रेट कोषागार 25 FEB 2019 प्रयागराज

है कि बिना किसी भेदभाव से समाज की बेहतरी में अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यों का संचालन कराया और भविष्य मे भी ऐसा ही होता रहे, की प्रेरणा मुझे देती रहती थी, अतः मैं पुत्र होने के नाते अपना दायित्व समझता हूं कि मैं पूज्यनीय माता जी के उपरोक्त कार्यों, उद्देश्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और आगे बढ़ाऊं।

जिसके लिये मैं एक ट्रस्ट के निर्माण की अत्यन्त ही आवश्यकता समझता हूं।

अतः आज दिनांक 02.03.2019 को मैं देवेन्द्र मिश्र ट्रस्टकर्ता के रूप में 5,000/- (पांच हजार मात्र) रु0 प्रदान कर "स्व0 श्रीमती श्याम कुमारी शिक्षण एवं विकास ट्रस्ट" सृजित करता हूं। उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप में उसकी स्थाई सम्पत्ति होगी। जो ट्रस्ट के बैंक खाते में स्थाई रूप से जमा

क्रमांक 729 तिथि 01-3-2019 मूल्य 100/ प्रयोजन ट्रस्टडीड
स्टाम्प-क्रेता का नाम देवेन्द्र मिश्रा पु० स्व० हरिश्चन्द्र मिश्रा
निवासी तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज
स्टाम्प विक्रेता ... कार्यालय ... प्रयागराज
लाइ० नं० 545 अवधि 31 मार्च 2019 तक...

आवेदन सं०: 201900890003970

हस्ताक्षर

न्यास पत्र

बही सं०: 4 **रजिस्ट्रेशन सं०: 95** **वर्ष: 2019**

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 150 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 240

श्री देवेन्द्र मिश्र ,
पुत्र श्री स्व० हरिश्चन्द्र मिश्र
व्यवसाय : अन्य
निवासी: १०५/५३ए/५, तिलकनगर, अल्लापुर, सदर प्रयागराज

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 02/03/2019 एवं 03:05:32 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हसनैन अहमद (प्र)
उप निबंधक :सदर प्रथम
प्रयागराज
02/03/2019

इश्वर दीन प्रजापति
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

उप निबंधक सदर प्रथम प्रयागराज उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 FEB 2019 EP 265862

रहेगी। ट्रस्ट का एक आजीवन मैनेजिक ट्रस्टी होगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियों के क्रय–विक्रय करने, किराये पर देने व लेने, लीज पर देने व लेने तथा अनुदान लेने व देने के अभिलेखों पर निर्णय एवं हस्ताक्षर करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन लेने का विधिक/न्यायिक अधिकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी को अन्य ट्रस्टियों को नियुक्त करना, ट्रस्टी मण्डल का गठन करना, ट्रस्टियों को हटाने तथा ट्रस्टी मण्डल को भंग करने की संस्तुति पर पुनः गठन का अधिकार होगा।

मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी नियम– (अ) मैं ट्रस्टकर्ता देवेन्द्र मिश्र ट्रस्ट का आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी रहूंगा। मेरे पश्चात ट्रस्टकर्ता अर्थात वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्ट का पुत्र मैनजिंग ट्रस्टी होगा किन्तु कई पुत्र होने की स्थिति में बड़ा पुत्र या आपस में तय किया गया पुत्र मैनजिंग ट्रस्टी होगा और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रस्टकर्ता के पुत्र या

क्रमांक 730 तिथि 1-3-2019 मूल्य 100 प्रयोजन (दान विलेख)
स्टाम्प क्रेता का नाम देवेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व० हरिश्चन्द्र मिश्रा
निवासी तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज
स्टाम्प विक्रेता वेद प्रकाश श्रीवास्तव ... प्रयागराज
आवेदन सं०: 201900... 2019 तक.........

हस्ताक्षर
1-3-2019

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 95 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री देवेन्द्र मिश्र, पुत्र श्री स्व० हरिश्चन्द्र मिश्र

निवासी: १७५/५३ए/५, तिलकनगर, अल्लापुर, सदर प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजेश कुमार तिवारी , पुत्र श्री स्व० एस०एन० तिवारी

निवासी: १एन/२१, तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सूर्य प्रकाश पाण्डेय , पुत्र श्री स्व० आदित्य प्रसाद पाण्डेय

निवासी: १४५बी/१२१/२एल/१के, कैलाशपुरी, मेहदौरी, तेलियरगंज, इलाहाबाद

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

हसनैन अहमद (प्र)
उप निबंधक : सदर प्रथम
प्रयागराज

इश्वर दीन प्रजापति
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

उप निबंधक, सदर प्रथम प्रयागराज
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 969471

उनके पुत्र रहे उनके न रहने की दशा में तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग ट्रस्टी नामित कर सकता है जो उसके बाद मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य करेगा। नामित न करने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन तत्कालीन ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मत या बहुमत से होगा।

(ब) ट्रस्टी का रिक्त स्थान होगाः–

1. ट्रस्टी द्वारा त्याग पत्र देने पर
2. ट्रस्टी की मृत्यु, पागल होने, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने, न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर एवं ट्रस्ट के हित के विपरीत कार्य करने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा हटाये जाने पर।

(स) ट्रस्टियों की नियुक्तिः–

मैनेजिंग ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा या मुख्य ट्रस्टी की सहमति से बहुमत के आधार पर नया ट्रस्टी लिया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति को जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति की इच्छा रखता हो, को ट्रस्टी बना सकते है। मुख्य ट्रस्टी की सहमति के बिना कोई ट्रस्टी नही लिया जा सकेगा।

4

क्रमांक 781 तिथि 1-3-2019 मूल्य 50/ प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

निवासी [illegible]

स्टाम्प विक्रेता वेद प्रकाश अग्निहोत्री कचहरी परिसर प्रयागराज

ला० न० 815 अवधि 31 मार्च 2019 तक

हस्ताक्षर [illegible]

1-3-2019

सदर प्रथम प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहन में उपयोगी ज्ञान फैलाने के लिये।

4. ट्रस्ट के उद्देश्यः–

1. शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमः–

(अ) शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु भारतीय संघ के अन्दर और बाहर (विदेशों में) साहित्य, राजनीति, शिक्षा, कला विज्ञान, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, बायोटेक, चिकित्सा/मेडिकल, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, दर्शन धर्म, पुस्तकालय और सूचना अध्ययन, व्यापार, अर्थशास्त्र, प्रबन्धन, विपणन, नीति और प्रशासन, पर्यावरण, जैव रसायन, व्यायाम, विज्ञान, खेल और स्वास्थ्य, भौगोलिक, कृषि, बागवानी, नर्सिंग, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाऐं, ग्रामीण प्रबन्ध, एप्लाइड भाषा के अध्ययन, लेखा परीक्षण, पाक कला, विज्ञान, वस्त्र डिजाइन, कम्प्यूटर विज्ञान, ललित कला, खाद्य सुरक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मुक बधिर शिक्षा, सामाजिक कल्याण और बच्चे की कल्याण मिट्टी और जल विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यावसायिक विषयों और अन्य तकनीकी एंव वैज्ञानिक विषयों और शिक्षा की अन्य सभी शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिये प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक, इण्टरमीडिएट, उच्च शिक्षा तकनीकी विद्यालय, शिक्षक–प्रशिक्षण कालेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंगं कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज, विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि कालेज, बी0एड0 कालेज, पॉलिटेक्निक कालेज, फार्मेसी कालेज, बायोटेक संस्थान, चिकित्सा/मेडिकल कालेज एंव शैक्षणिक

(द) नये ट्रस्टियों को लेने के अधिकारः–

ट्रस्ट के ट्रस्टी यह महसूस करें कि कोई व्यक्ति या संस्था ट्रस्ट के लिये लाभकारी है एवं उसकी सेवायें ट्रस्ट के विकास के लिये आवश्यक है, तो मुख्य ट्रस्टी स्वयं ऐसे महानुभाव या संस्था को ट्रस्ट का ट्रस्टी बना सकेगा। नया ट्रस्टी बनाने के लिये सामान्य तौर पर आपसी सहमति बनती है तो ट्रस्ट हित में होगा। ट्रस्टियों का निर्णय मुख्य ट्रस्टी के लिये बाध्यकारी नहीं होगा।

ट्रस्ट का विवरण इस प्रकार हैः–

1. **ट्रस्ट का नाम–** स्व० श्रीमती श्याम कुमारी शिक्षण एवं विकास ट्रस्ट
2. **ट्रस्ट का मुख्यालय–** 175/53ए/5, तिलक नगर, अल्लापुर, पो0 दारागंज, जिला प्रयागराज (उ0प्र0) 211006, आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी के पास यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के मुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये, मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के और भी सह–कार्यालय भारतवर्ष में तथा विदेशों में किसी भी स्थान पर खोलने व बन्द करने एवं स्थान परिवर्तित करने का भी विधिक अधिकार होगा।
3. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्रः–**

   ट्रस्ट वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इसका कार्यक्षेत्र, प्रारम्भिक अवस्था में प्रयागराज जिले में एवं कालान्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए समस्त उत्तर प्रदेश व सम्पूर्ण भारत गणराज्य इसका कार्यक्षेत्र होगा भारतीय संघ के अन्दर और बाहर साहित्य, राजनीति शिक्षा और संबद्ध विषयों के कला, विज्ञान,

महाविद्यालय संस्था व विश्वविद्यालय का निर्माण/स्थापित एवं संचालित करना।

(ब) शिक्षा की अन्य सभी शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिये संस्थाओं को चलाने और बनाये रखने के लिये जो लिंग, उम्र और धर्म के बावजूद सभी समुदायों के लिये खुला होगा।

(स) विदेश में अध्ययन करने को प्राथमिकता देना।

(द) विशेष विषयों बालक/बालिकओं के लिये शैक्षणिक संस्थान बोर्ड आई0सी0एस0सी0, सी0बी0एस0सी0, उ0प्र0 बोर्ड एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं तकनीकी बोर्ड के आवासीय कालेज स्थापन एवं प्रबन्धन करना।

(य) शिक्षा में गरीब, कमजोर, योग्य छात्रो के लिये कोचिंग और प्रारम्भिक कक्षायें आयोजित करना।

(र) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इच्छुक छात्रों के लिये कोचिंग कक्षायें आयोजित करना।

(ल) कार्यशालाओं, सेमिनार, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कान्फ्रेसिंग ऑन लाइन शिक्षा–शिविर और अन्य कौशल संबंधित प्रशिक्षण कक्षायें आयोजित करना एवं प्रबन्धन करना।

(व) ग्रामीण/शहरी शिक्षा और आदिवासी क्षेत्रों से युवा लड़कियों को अपनी बुनियादी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिये उच्च शिक्षा के लिये बालिका विद्यालय की स्थापन एवं प्रबन्धन करना।

(क) ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिये छात्रावास की स्थापना एंव संचालन करना।

(ख) सांस्कृतिक विद्यालय का संचालन एवं नारी निकेतन, अनाथालय, शिल्प कला, बाल एवं शिशुपालन केन्द्र, नृन्य, गायन, वादन, ड्रामा,

नाटक, एकांकी, नाटक आदि के शिक्षण व प्रशिक्षण की स्थापना और संचालन करना।

(ग) समाज के विकास हेतु बाल विद्यामंदिर, लघु माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, बालिका विद्यालय, उर्दू विद्यालय का गठन करना।

(घ) प्रौढ़ो को मानसिक विकास के लिये शिक्षा संस्थाओं व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना तथा उसका संचालन करना।

(ङ) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व गरीब असहाय बच्चों/महिलाओ के उत्थान हेतु तकनीकी शिक्षा हेतु ट्रेनिग सेण्टर खोलना, प्राइमरी से लेकर इण्टर कालेज, इण्टर गर्ल्स कालेज, डिग्री कालेज खोलना तथा निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलना, श्रमजीवी महिलाओं के लिये छात्रावास तथा छात्र व छात्रा के लिये छात्रावास खोलना, बालक एवं बालिकाओं हेतु, तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलना तथा उसका संचालन करना।

(च) महिलाओं के विकास के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर, दस्तकारी, टाईप, औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निरक्षित महिला कल्याण केन्द्र की स्थापना करना।

(छ) लोकहित के लिये 05 वर्ष से 70 वर्ष तक के लोगों को साक्षरता प्रदान करना।

(ज) समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना एवं संगीत विद्यालय की स्थापना करना।

(झ) किसी भी रंग, वंश, लिंग, जाति या धर्म का भेदभाव ना करते हुए विद्यार्थियों के लिये छात्र वृत्तियों की स्थापना करना, संचालन एंव अनुरक्षण करना तथा अन्य प्रकार से सहायता करना, जिसमें अध्ययन

के लिये पुस्तकों, वजीफा, पदकों या अन्य प्रोत्साहनों का वितरण शामिल है।

(ञ) सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एंव तकनीकी विकास हेतु शोध–पत्र, पत्रिकाओ, सम्मेलन कार्यवाही पुस्तक शोध–पत्रिकाओं और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन करना तथा इसे देहा व विदेशों में वितरण तथा क्रय विक्रय करना।

(ट) देश विदेश में डाटा संग्रह, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कराना।

(ठ) अन्य देशों के साथ भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सांस्कृतिक विनिमय समझौतों के द्वारा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य को बढ़ावा देना।

(ड) विद्यार्थियों/कर्मचारियों के उपयोग हेतु तथा साथ ही आम जनता में ज्ञान के प्रसार एवं शिक्षा की वृद्धि तथा विकास हेतु शालाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा के क्षेत्र में एवं अन्य संस्थानों की स्थापना सञचालन, समर्थन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।

2. **अनुसंधान कार्य/शोध कार्य व प्रशिक्षणः–**

शोध के द्वारा मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करना तथा ज्ञान भण्डार को विकसित एंव परिमार्जित करना। कर्मचारियों, छात्रों और समुदायों के लिये गुणवत्ता अनुसंधान प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिये शैक्षिक और अनुसंधान को बढ़ावा देना। जिसमें उद्योगों, व्यवसायों और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एंव संचालित करना।

3. **कला और शिक्षा के संकायः–**

कला प्रदर्शन, दृश्य कला, ऐतिहासिक अध्ययन, पत्रकारिता, संचार और मीडिया अध्ययन, साहित्य अध्ययन, दर्शन और धर्म अध्ययन, ग्रामीण/क्षेत्रीय स्थिरता के लिये शिक्षा, ग्रामीण और दूरस्त शिक्षा।

4. **शिक्षा अध्ययनः–**

पाठ्यक्रम अध्ययन, पाठ्यक्रम थ्योरी, विकास और मूल्यांकन, साहित्यिक, नैनोरेसीज गणित शिक्षा, बाल विकास, बचपन की शिक्षा, शैक्षणिक मनोविज्ञान, समावेशी और विशेष शिक्षा, शिक्षा को समाज शास्त्र, शैक्षिक नीति और प्रशासन, शिक्षा का इतिहास।

5. **सूचना अध्यायः–** पुस्तकालय और सूचना अध्ययन, शिक्षक लाइब्रेरीशिप

6. **मानव समाज में अध्ययनः–** मनुष्य जाति का विज्ञान, मानवीय भूगोल, मानवीय सेवायें, ग्रामीण सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, सामाजिक कार्य, मानव समाज में अन्य अध्ययन।

शिक्षक शिक्षा और व्यवसायिक विकास, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण।

व्यापार, न्याय और व्यवहार विज्ञान के संकाय में अध्ययन करना।

7. सामाजिक विज्ञान विषयों में शोध कार्य करना एवं प्रशिक्षण करना, अनुसंधान संस्थान स्थापित एंव संचालित करना।

8. **सूचना प्रणाली प्रबन्धन**

प्रबन्धन

विपणन

9. **संख्यात्मक और काम्प्यूटेशनल गणित**

10. **कानून स्थापित करने वाली संस्था**

11. नीति और प्रशासन

12. मनोविज्ञान

13. विज्ञान विभाग

जैव रसायन और सेल जीव विज्ञान, जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, फसल और चारागाह उत्पादन, पारिस्थितिकी और विकास Ecology and Evaluation पर्यावरणीय विज्ञान, भौगोलिक इंजीनियरिंग, बागवानी, औद्योगिकी जैव प्रौद्यागिकी और खाद्य विज्ञान, उत्पादन यांत्रिकी, मेडिकल बायो कैमिस्ट्री और क्लिनिकल कैमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रो बायोलोजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, कीटाणु विज्ञान, नर्सिंग, अन्य कृषि पशु चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवायें, एशियन अध्ययन, एप्लाइड भाषा के अध्ययन, लेखा परीक्षा, खगोल, विज्ञापन रचनात्मकता, एनीमेशन, लेखांकन साहसिक पर्यटन, बावर्ची शिक्षा, वस्त्र डिजाइन, कम्प्यूटर विज्ञान, बहरा अध्ययन, रोजगार, संबंध, फैशन वस्त्र, ललित कला, खाद्य और पेय पदार्थ, खाद्य सुरक्षा, भोजन विज्ञान, स्वास्थ्य सुरक्षा, आई0सी0टी0 (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) भाषा और अध्ययन भाषा शिक्षण, सामाजिक कल्याण और बच्चे की कल्याण, बेघर, कम आय, श्रमिकों, मानसिक स्वास्थ्य, गरीबी और कल्याणकारी सुधार सहित कई सामाजिक समस्याओं पर अनुसंधान का संचालन करना। विश्व के प्रसिद्ध अंतः विषय अनुसंधान संस्थान और शोध कार्य करना।

अनुसंधान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अति विस्तृत अनुसंधान कराना। अनुसंधान स्थापित एवं संचालित करना।

14. स्वास्थ्य कार्यक्रमः–

(क) लोगों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ावा देने के लिये काम करना।

(ख) स्वास्थ्य के लिये पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 एवं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की स्थापना कर कम से कम खर्च पर बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना तथा जगह जगह पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा कर स्वास्थ्य परीक्षण करना एवं देश मे बढ़ती हुई गम्भीर बीमारियों की जानकारी प्रदान करना है।

(ग) आम जनता के उपयोग तथा लाभ हेतु भारत मे चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, परिचारिका संस्थानों, औषधालयों, बाल कल्याण केन्द्रों एवं अथवा इसी जैसी परमार्थिक संस्थानों की स्थापना करना, विकास करना, अनुरक्षण करना एवं नगद अथवा वस्तु रूप में अनुदान देना।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम या मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये संस्थानों का विकास एवं स्थापना, संचालन, अनुरक्षण करना एवं उनको शिक्षा, भोजन, कपड़े या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना।

(ङ) गरीब और गरीब लोगों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जहां मांग पूरा करने के लिये चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना।

(च) जच्चा–बच्चा माता और शिशु परियोजनओं का प्रबन्ध करना।

(छ) स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमो का संचालन।

(ज) परिवार कल्याण और आबादी शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना।

(झ) जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों को क्रियान्वित करना।

(ञ) सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का लाभ लक्ष्य के सभी वर्गो तक गुणवत्ता के साथ पहुंचाना।

(ट) स्वास्थ्य से सम्बन्धित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

(ठ) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये भारत सरकार एवं राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी सोसाइटीज से आबंटन प्राप्त करना एवं प्रबन्ध करना।

(ड) ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व निःशुल्क संचालन करना। निःशुल्क परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा आदि कार्यक्रमों का संचालन करना ताकि जन साधारण में जागरूकता फैलाना, गम्भीर बीमारियों जैसे एड्स मोतियाबिन्द, कैंसर, चेचक, पोलियो, निर्जलन, मलेरिया, प्लेग, टी0बी. की बीमारी आदि उन्मूलन के उपायों को राज्य केन्द्र को सुझाना एंव मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की सहायता करना। इनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनओं का संचालन करना तथा निःशुल्क कैम्प आयोजन कर प्रशिक्षित डाक्टरों की देख रेख में करना।

(ढ) परिवार कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, शिविरों, सम्मेलनों तथा गोष्टियों का आयोजन कर जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना

(ण) कुष्ठ रोग का निवारण एवं रोगियों हेतु आश्रम की स्थापना कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना।

15. **स्वच्छता कार्यक्रमः–**

ग्रामीणों के लिये बेहतर स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण के उत्थान के लिये कई स्वच्छता कार्यक्रम शुरू करना।

गांव के टैंकों, कुंओं का ध्यान रखना और ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से पीने के पानी के साथ आपूर्ति की व्यवस्था करना।

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन–सहन में सुधार लाना।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिये त्वरित कार्य

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों/आंगनबाड़ियों में स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध करना और विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना और साफ सफाई की आदत डालना।

(घ) स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रो में शुष्क शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और जहां कहीं हो मनुष्य द्वारा मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना।

(च) सरकार के सहयोग से लोक कल्याण हेतु स्वच्छ जल हेतु हैण्ड पम्प इत्यादि लगवाने में सहयोग करना।

(छ) गंगा, यमुना एवं अन्य नदियों की समय–समय पर सफाई अभियान चला कर प्रदूषण मुक्त बनाना।

(ज) स्वच्छ शौचालयों, स्वच्छता कार्यक्रम, हरियाली कार्यक्रम, मलिन बस्ती सुधार, कार्यक्रम आदि चला कर अपने उददेश्यों को पूरा करना।

16. सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रमः–

(क) उपयुक्त तकनीक के उपयोग के साथ कृषि के विकास के लिये कार्य करना, आधुनिक उपकरणों, विकसित बीज, बेहतर उपज के लिये कीटनाशक के संबंध मं जानकारी प्रदान करना।

(ख) ग्रामीण इलाकों में खादी और गांव औद्योग की सहायता से छोटे और कुटीर उद्योगों को व्यवस्थित करने के लिये।

(ग) आर्थिक विकास के लिये पशुपालन, मुर्गी पालन बकरी, फेशे, सुअर जैसे गतिविधि का आयोजन करना।

(घ) विभिन्न आय पैदा करने वाली गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिये कार्य करना।

(ङ) ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना।

(च) महिलाओं और युवाओं के विकास के लिये महिला मण्डल, स्व–सहायता समूह और युवा समूह को बढ़ावा देना।

(छ) गरीब महिलाओं के लिये हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्ध करना। ग्रामीण युवाओं की क्षमता और प्रबन्धकीय कौशल बढाने के लिये विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिये कार्य करना।

(ज) नई प्रौद्योगिकी खेती शुरू करने के लिये प्रबन्ब व जानकारी देना।

(झ) प्रोग्राम शुरू करने के लिये प्रयोगशाला आयोजित करना।

(ञ) किसानों और महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण को प्रभावित करने के लिये कार्य करना।

(ट) प्रदर्शन और कृषि परीक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिये कार्य करना

(ठ) वाटरशेड विकास, पर्यावरण प्रबन्धन, संसाधनों की योजना आदि जैसे प्रयासों को सक्षम करने के लिये कार्य करना।

(ङ) जल संसाधनों के नियोजन में एक भूमिका की कल्पना करने के लिये ताकि स्थिरता और इक्विटी के उद्देश्य की सेवा करें।

(ढ) स्थानीय आबादी महिला संगठन के निर्माण की दिशा में काम करने के लिये अपनी स्थिति और जीवन की स्थितियों में सुधार के लिये कार्य करना।

17. **अन्य कार्यक्रमः–**

(क) विभिन्न विकास कार्यक्रमों और सरकारी और गैर सरकारी एजेन्सियों के राष्ट्रीय जोर कार्यक्रमों को करने के लिये कार्य करना।

(ख) बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये एक मंच के रूप में काम करना।

(ग) सरकार और अन्य सामाजिक विकास संगठनों द्वारा शुरू की गयी विभिन्न विकास योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी का प्रभावी एकीकरण लाने के लिये कार्य करना।

(घ) विभिन्न राज्य और केन्द्र सरकार के संगठनों को प्रबन्धन परामर्श और कार्यान्वयन समर्थन सेवायें प्रदान करने के लिये कार्य करना।

(ङ) महिलाओं, निर्दोष कैदियों, गरीब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना।

(च) कैदियों के बच्चों और परिवारों की सहायता करना।

(छ) कैदियों के लिये सुधारक उपयों का प्रावधान।

(ज) सड़क के बच्चों के कल्याण के लिये काम करने के उद्देश्य से उन्हें अधिक उत्पादक और कानून बनाये रखने वाले नागरिक बनाने के उद्देश्य से कार्य करना।

(झ) खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बच्चों को बचाव और पुर्नवास के लिये, फील्ड वर्क और सर्वेक्षण के आयोजन से और बाल कल्याण के

क्षेत्र में काम करने वाले अन्य कल्याणकारी एजेन्सियों की मदद से कार्य करना।

(ञ) शिक्षा के माध्यम से सड़क के बच्चों को पुर्नवास और मूल्यों और जीवन कौशल प्रदान करने के लिये काम करना।

(ट) सहायता शुरू करने के लिये योजनाओं और इसके कार्यान्वयन के लिये काम करना।

(ठ) माइक्रो क्रेडिट परामर्श प्रदान करने और वित्त पोषित एजेन्सियों और बैंकों के लिये प्रभाव मूल्यांकन करना।

(ड) लोक संस्कृति, संगीत और विभिन्न क्षेत्रों की अन्य कलाओं के प्रचार के लिये काम करना और उन्हें संगठित करने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने से गायब होने से बचाने के लिये काम करना।

(ढ) विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संस्थाओं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर मानव विकास हेतु के लिये मिल कर कार्य करना तथा उपरोक्त संस्थाओ से दान सहायता एवं अनुदान राशि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये कार्यों में व्यय करना।

(ण) समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महानुभावों के सम्मान में गोष्ठियों का आयोजन करना तथा उन्हें स्मृति पदक देकर सम्मानित करना।

(त) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।

(थ) ग्राम समाज, निगमों, सरकारी विभागों, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन से भूमि, भवन, दान, चन्दा, ऋण व अनुदान प्राप्त करना और उसे सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

(द) भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, वैकल्पिक ऊर्जा, श्रोतो, पेट्रोलियम बचत, सड़क पंचायतीराज रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना राज्य/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही है योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिये सेतु का कार्य करना इसके लिये केन्द्र/राज्य से दान अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना।

(ध) वृद्धाश्रम, विकलांग आश्रम, विधवा आश्रम, यतीम आश्रम आदि की स्थापना कर समाज के उपेक्षित प्राणियों के जीवन यापन हेतु कार्य करना।

(न) प्रौढ़ों के मानसिक विकास के लिये शिक्षा संस्थाओं व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना तथा उसका संचालन करना।

(य) जन साधारण के शारीरिक विकास के लिये जिमनाजिम आदि खोलना तथा उसका संचालन करना।

(र) सोसाइटी अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्थान स्थान पर वृक्षारोपण करना, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो सके।

(ल) आर्ट ऑफ लीविक, नाड़ी परीक्षण, गोष्ठी, जलवायु, खाद्यान्न निवारणों के लिये चर्चा करना और उनके लिये कार्य करना।

(व) व्यापारिक को व्यापार सम्बन्धी जानकारी देना, उनके साथ ग्राहकों को सोसाइटी के माध्यम से सुविधायें प्रदान करना।

(स) दिव्यांग बच्चों, लूले–लगड़े, अंधे, यतीम जैसे असहाय बच्चों के लिये स्कूल, मदरसा विद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन समाजहित में करना।

(श) दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी निर्बल, निर्धन, पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करना।

(ष) समाज के निराश्रितों, वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों विशेषतया निर्बल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिये डे–केयर–सेण्टर कल्याण केन्द्र, भूले भटके शिविरों, मेलों, दंगल आदि का आयोजन, संचालन का प्रचार प्रसार करना।

(क्ष) किसानों को किफायती मूल्य पर कृषि हेतु उपयोगी कीटनाशक, बीज, खाद एवं डीजल आदि उपलब्ध कराना जिससे उन्हें कृषि कार्य में आसानी हो सके।

(त्र) गांवो में पशुधन प्रसार एंव स्वास्थ्य उन्नत नस्ल हेतु उपाय करना।

(ज्ञ) गावों में विकलांग एवं व्यक्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना जिससे वे सुगमता से जीवन यापन कर सके।

(अ) ग्रामीण सामाजिक कुरीतियों तथा बाल विवाह, विधवा (विवाह निषेध) डाइन प्रथा, जाति प्रथा आदि को दूर करने हेतु आवश्यक उपाय करना।

(आ) पेयजल समस्या के निदान हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(इ) सेल्प–हेल्फ ग्रुप (स्व सहायता) गठित करके अल्प बचत योजना को बढ़ावा देना तथा सामूहिक/व्यक्तित्व ग्रामोद्योग तथा इनका जनरेटिंग कार्यक्रम के लिये प्रेरित करना। इसके लिये राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड तथा सिडनी इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

(ई) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार अन्य अनुदान प्रदत्त भारतीय संस्थाओं द्वारा संचालित विधायक निधि, सांसद निधि, कपार्ट मानव विकास मंत्रालय, यूनिसेफ,

डवाकरा, सिप्सा सैफ इण्डिया, युनिसेफ नाबार्ड, इण्डिया राजीव फाउण्डेशन नवराड आक्सफोम इण्डिया केयर, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की योजनाओं को संचालित प्रबन्धन एंव अनुरक्षण हेतु समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने एंव इस हेतु अनुदान दान चन्दा सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को स्टेटे के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना।

(उ) अन्य वे सभी कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये समय–समय पर आवश्यक हो।

5. **ट्रस्ट की आयः–** ट्रस्ट की आय उसकी स्थाई कोष में जमा राशि एंव उसका ब्याज, लाभांश, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, चन्दा, शुल्क, जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सहायता राशि, उदार व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चल अचल सम्पत्ति, जन प्रतिनिधियों द्वारा ली गयी सदस्यता शुल्क, ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियों एंव कार्यों से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों एंव ट्रस्ट के विस्तार कार्यों में किया जायेगा।

6. **ट्रस्ट का कोष/ट्रस्ट के खाते का रख रखाव व संचालनः–**

1. ट्रस्ट की समस्त आय किसी मान्यता प्राप्त बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, एवं/या डाकार में ट्रस्ट के नाम बचत एवं/या चालू खाता खोल कर सुरक्षि रखा जायेगा। इस खाते का संचालन ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा अथवा बैंक से लेन देन के लिये मुख्यट्रस्टी जिस व्यक्ति को अधिकृत करेगा वह व्यक्ति बैंक से लेन देन का कार्य कर सकेगा।

2. न्यास निधि को अचल सम्पत्ति अथवा शेयरों (अंशपत्रों), स्टॉक अथवा डिबेंचरों (ऋण पत्रों) अथवा किसी वित्तीय प्रतिभूति या विनियोग में निवेश करना या किसी कम्पनी/बैंक/फर्म या अन्य किसी व्यक्ति को ऋण देना या उसके पास जमा (निक्षेप) के रूप में रखना एवं न्यासियों द्वारा स्वविवेक

से ऐसे निवेशों में परिवर्तन या बदलाव या स्थानान्तरण करना, जो कि न्यास के अधिकतम हित में हो।

3. संस्थापक ट्रस्टी द्वारा 5000/– रु0 बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे जो ट्रस्ट कोष के रूप में होगा तथा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट चन्दा, शुल्क, अनुदान सहायता प्राप्त कर सकेगा।

4. ट्रस्ट को प्राप्त राशि एवं ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार से प्राप्त की गई चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी

5. धन उधार लेना अथवा भुगतान को सुरक्षित करना तथा साथ ही साथ पर्याप्त प्रतिभूति (जमानत) मिलने पर उधार देना।

7. ट्रस्ट का गठनः–

ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि एंव आस्था रखने वाले महानुभावों को ट्रस्ट का संस्थापक, ट्रस्टी नियुक्त किया गया है जो इस प्रकार हैः–

क्रम सं0	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	निवासी
1	देवेन्द्र मिश्र	स्व0 हरिश्चन्द्र मिश्र	मैनेजिंग ट्रस्टी	175/53ए/5,तिलक नगर अल्लापुर, प्रयागराज
2.	अल्का तिवारी	हरिप्रकाश तिवारी	ट्रस्टी	सराय सिविल उर्फ खपटिहाँ, (तिवरान) सैदाबाद, तहसील हण्डिया, प्रयागराज
3	हर्षित मिश्र	देवेन्द्र मिश्र	ट्रस्टी	आसेपुर, तहसील हण्डिया, प्रयागराज
4	गर्वित मिश्रा	देवेन्द्र मिश्र	ट्रस्टी	175/53ए/5,तिलक नगर अल्लापुर, प्रयागराज
5.	किरन मिश्रा	राजितराम शुक्ला	ट्रस्टी	175/53ए/5,तिलक नगर अल्लापुर, इलाहाबाद

उपरोक्त कुल पांच ट्रस्टी इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होंगे जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेगे।

ट्रस्टियों की नियुक्तिः–

देवेन्द्र मिश्र

वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों के अतिरिक्त नये ट्रस्टियों/रिक्त ट्रस्टियों के पदों पर 18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि रखने वाले समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों या संस्था को मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

9. **ट्रस्ट की साधारण सभाः**– ट्रस्ट के वर्तमान आजीवन सदस्यों एवं तत्पश्चात नियुक्ति ट्रस्टी, ट्रस्ट की साधारण सभा के सदस्य होंगे।

10. **ट्रस्टी मण्डल (Governing Board of Trustee) का गठन एवं उद्देश्यः**–

1. ट्रस्टी मण्डल का गठन वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों द्वारा किया जोयगा। मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमोदन के बाद ही सामाजिक व्यक्तियों को ट्रस्टी मण्डल का ट्रस्टी सदस्य बनाया जा सकता है।

2. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आजीवन ट्रस्टी एक ट्रस्टी मण्डल (Governing Board of Trustee) का गठन करेंगे। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 3 हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल के ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाने के लिये मैनेजिग ट्रस्टी का अनुमोदन या ट्रस्टी मण्डल के सर्वसम्मति या बहुमत के निर्णय के बाद ही किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः– वर्तमान आजीवन सदस्यों के समाप्त होने या संख्या कम होने की स्थिति में ट्रस्ट की साधारण सभा के ट्रस्टी, ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे।

3. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा समस्त संचालित संस्थाओं और सह संस्थाओं की सम्पत्ति ट्रस्ट में निहित होगी। ट्रस्टी मण्डल इस सम्पत्ति को आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा, देखभाल करेगा, प्रबन्धन करेगा तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग व

उपभोग करेगा। ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिये गये निर्णयों के अंतर्गत सभी कार्य सम्पादित होंगे।

10. **ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारीः–**

ट्रस्ट की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन तथा ट्रस्टी मण्डल के गठन हेतु निम्न पद एवं पदाधिकारी होंगेः–

अध्यक्षः– देवेन्द्र मिश्र पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र मिश्र, निवासी 175/53ए/5, तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज–211006

सचिवः– हर्षित मिश्र, पुत्र देवेन्द्र मिश्र, निवासी ग्राम आसेपुर, पो0 सैदाबाद, तहसील हण्डिया, जिला प्रयागराज

कोषाध्यक्षः– अल्का तिवारी, पत्नी हरि प्रकाश तिवारी निवासिनी सराय सिविल उर्फ खपटिहाँ, (तिवरान) सैदाबाद, तहसील हण्डिया, प्रयागराज

उपरोक्त पदाधिकारी सचिव व कोषाध्यक्ष अपने जीवन काल तक अपने पदों पर बने रहेंगे। जब तक कि उन्हें मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा पदच्युत न किया जाये। ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष पद पर मैनेजिंग ट्रस्टी ही सदैव पदेन होगा तथा शेष दो अन्य पदों का चयन ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टियों में से ही किया जायेगा, जिनका अनुमोदन मैनेजिंग ट्रस्टी करेगा। यदि मैनेजिंग ट्रस्टी अनुमोदन नही करता तो वह अन्य ट्रस्टी को उक्त पद पर नियुक्त करेगा।

12. **ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्तिः–**

1. ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर
2. ट्रस्ट के उददेश्य के विपरीत कार्य करने पर
3. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने पर
4. अध्यक्ष को बिना लिखित बताये, ट्रस्टी मण्डल तीन लगातार बैठकों में भाग न लेना

देवेन्द्र मिश्र

5. मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी ट्रस्टी को बिना कारण बताये, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति को ट्रस्टी बना सकता है।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार होगा कि ट्रस्ट में रिक्त/अतिरिक्त पदों पर ट्रस्टियों की नियुक्त करे या न करे।

13. **ट्रस्टी मण्डल की बैठकें:–**

ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक जून/जुलाई में हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टी मण्डल की अन्य बैठकें भी हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एंव एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को प्राप्त करा दी जायेगी। आकस्मिक बैठके एक दिन के अन्दर बुलाई जा सकती है। आपात स्थिति में ट्रस्ट सम्बन्धी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्टी मण्डल की बैठक बुला कर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्टी मण्डल की बैठक का कोरम कम से कम 1/2 सदस्यों की उपस्थिति से होगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नही होगीं।

14. **ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वः–**

अध्यक्षः– अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठकों को आहूत करने के लिये सचिव को निर्देश देगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा। वह मतदान में भाग नहीं लेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयो की घोषणा करेगा। बराबर मतों की स्थिति में उसका मत निर्णायक एंव सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा।

सचिवः– सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेगा, ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखन करेगा तथा ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एंव संचालित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देगा तथा उसका पालन सुनिश्चित करावेगा, ट्रस्ट के समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। माननीय न्यायालय, सरकार अथवा अन्यत्र कही भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। ट्रस्टी मण्डल के निर्णय अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ में कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगा, उस पर नियुक्ति उनका वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता तथा दैनिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य करेगा तथा उसकी सूचना सबंधित संस्था के प्रधान को देगा। वह ऐसे समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो उसे ट्रस्टी मण्डल, द्वारा समय–समय पर करने के लिये अधिकृत किया जायेगा।, सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष उस बैठक में सचिव के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्षः– कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से उदास्मना व्यक्तियों द्वारा दान, ट्रस्ट सम्पत्तियों का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियों की विक्रय धनराशि, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि आदि प्राप्त करेगा तथा उसे ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा तथा उसका लेखा जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्टी मण्डल के निर्देशानुसार उपयोग व उपभोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्रजातों का लेखा परीक्षण करायेा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल की

वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक सम्बन्धी समस्त पत्रजात ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

15. **ट्रस्टी मण्डल के अधिकारः–**

1. किसी मान्यता प्राप्त बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या/व डाकघर में अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नियमों, परिनियमों, उद्देश्यों आदि में संशोधन करना, नये नियम बनाना तथा अनुपयोग हो चुके नियमों को समाप्त करना तथा उनके संचालन हेतु समितियों व उपसमितियों व नियमो, उपनियमों को बनाना व संशोधित करना।

3. ट्रस्ट के कार्यों हेतु कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणों से उन्हें पदच्युत करना।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य संचालित संस्थाओं में हस्तान्तरित (Transfer) करना।

5. ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं क दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करना तथा उन्हे पदच्युत करना।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावली बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर बने हुए संविधान, नियमावली में संशोधन करना।

7. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादित प्रबन्ध समिति को भंग कर उनके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके गठन होने तक संस्था का प्रबन्धन ट्रस्टी मण्डल के सचिव द्वारा कराना।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के समस्त वादों/विवादों का निपटारा करना।

9 ट्रस्ट के विरूद्ध समस्त वाद माननीय न्यायालय इलाहाबाद के कार्यक्षेत्र में निहित होगा।

10. ट्रस्ट को आवश्यकतानुसार श्रमिक तथा कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा तथा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारियों की सेवाओं के संचालन हेतु नियम बनाने का एंव समय–समय पर नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने का और उत्पन्न विवाद का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. ट्रस्ट अपने नियमो में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन कर सकेगा।

12. ट्रस्ट आवश्यकता पड़ने पर एवं विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिये उप समितियों का गठन कर सकेगा तथा उसके नियम एवं उपनियम भी बना सकेगा।

13. ट्रस्ट के अपने कार्य को सुचारू संचालन हेतु एवं ट्रस्ट हितों के रक्षार्थ कानूनी सलाहकार एंव आडिटर नियुक्त करने का अधिकार होगा।

14. न्यास के कार्यों के प्रबन्धन एवं/अथवा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये न्याय या न्याय द्वारा किसी संचालित संस्थान/संगठन संस्था का संचालन करने अथवा अन्यथा रूप में उसके उद्दश्यो को प्रभावी बनाने हेतु योजनाओं, नियमों एंव उपनियमों या उपसमितियां को बनाना, उनमें समय समय पर परिवर्तन एंव संशोधन करना।

16. **विधिक कार्यवाही व क्षेत्राधिकारः**– ट्रस्ट के लिये व ट्रस्ट के विरूद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही ट्रस्ट के नाम से की जायेगी और ट्रस्ट की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी प्रत्येक अभिलेखों पर अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करेंगे तथा

मैनेजिंग ट्रस्टी मुकदमो व कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से भाग लेने के लिये किसी अन्य ट्रस्टी को भी अधिकृत कर सकता है।

17. **ट्रस्ट–संविधान में संशोधनः–** ट्रस्टी मण्डल के 2/3 के बहमत से ट्रस्ट–संविधान में संशोधन कर सकता है। उसमें कुछ जोड़ सकता है तथा उसके कुछ अश जो विधि सम्मत न हो को हटा सकता है। उपरोक्त के लिये बैठक की सूचना ट्रस्टियों को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा। ट्रस्टी मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी को उपरोक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये अधिकृत करेगा।

यह कि इस ट्रस्ट का मूल्यांकन 5000/– रु0 है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क दिया जा रहा है।

अतएव मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क एवं होशो हवास से यह ट्रस्ट विलेख (Trust Deed) लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

ट्रस्टकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी

गवाह–1 **रत्नेश कुमार**, तिवारी, पुत्र स्व0 एस0एन0 तिवारी, 1एन/21 तिलक नगर, अल्लापुर, प्रयागराज, आधार कार्ड सं0 720723496559

गवाह–2 **सूर्य प्रकाश पाण्डेय**, पुत्र स्व0 आदित्य प्रसाद पाण्डेय, निवासी 145बी/121/2एल/1के, कैलाशपुरी, गोविन्दपुर, तेलियरगंज, इलाहाबाद। आधार कार्ड सं0 893410108623

मसविदाकर्ता– सुशील बाबू मिश्र, एडवोकेट

टाइपकर्ता– जौयदेव, दीवानी कचेहरी इलाहाबाद

दिनाकः 02.03.2019

आवेदन सं०: 201900890003970

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 489 के पृष्ठ 187 से 242 तक क्रमांक 95 पर दिनाँक 02/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हसनैन अहमद (प्र)
उप निबंधक : सदर प्रथम
प्रयागराज
02/03/2019